

कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को जांच के निर्देश

बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेण शर्मा ने राष्ट्रपति सचिवालय और मानव अधिकार आयोग को भेजी थी याचिका

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर मारपीट करने के मामले में राष्ट्रपति सचिवालय और मानव अधिकार आयोग को याचिका पेश की गई थी। राजस्थान के बूंदी जिले के कांग्रेस नेता चर्मेण शर्मा की ओर से पेश की गई याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेण शर्मा की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय में दायर याचिका में कहा गया था कि 15 जून 2022 को

■ चर्मेण ने राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर कर शिकायत दी थी कि "कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस ने बिना मजिस्ट्रेट सर्च वारंट के अवैधानिक तरीके से प्रवेश किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की। याचिका में पुलिस के अधिकारियों पर राजनैतिक दबाव में मौलिक अधिकारों का हनन करने के गंभीर आरोप लगाये गये थे। इस याचिका में

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कांग्रेस मुख्यालय में बिना मजिस्ट्रेट सर्च वारंट के राजनैतिक दबाव में अवैधानिक तरीके से प्रवेश किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की। याचिका में पुलिस के अधिकारियों पर राजनैतिक दबाव में मौलिक अधिकारों का हनन करने के गंभीर आरोप लगाये गये थे। इस याचिका में

पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी मांग की गयी थी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस 15 जून को 24 अकबर रोड स्थित एआईसीसी कार्यालय में घुसी

थी। इसके बाद चर्मेण शर्मा ने 15 जून को ही नई दिल्ली में राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति के नाम याचिका दायर की थी। राष्ट्रपति सचिवालय ने याचिका के परीक्षण के बाद 16 जून को भारत सरकार के नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय को इस मामले में जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिये थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम दायर याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने यह मामला अधिकृत रूप से भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने याचिका को भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कार्यवाही के लिये भेजते हुये गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव साहिल घोष राय को इस मामले में कार्यवाही के लिए

अधिकारी नियुक्त किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने अपने आधिकारिक आदेश में इस मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता चर्मेण शर्मा से भी आगे की कार्यवाही की जानकारी के लिये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव से सीधे संपर्क करने को कहा है। इस विषय में राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी अधिकृत आदेश भी सामने आया है। इस मामले में याचिकाकर्ता चर्मेण शर्मा ने 15 जून को ही राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर करने के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवायी थी। आयोग के अध्यक्ष के नाम दर्ज शिकायत में दिल्ली पुलिस पर मानवाधिकारों का गंभीर हनन करने के आरोप लगाये थे।

पुनीत चड्ढा ने कैडेट्स को अग्निपथ योजना के बारे में बताया



नई दिल्ली स्थित एनसीसी महानिदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक रियल एडमिरल पुनीत चड्ढा सोमवार को जयपुर पहुंचे। यहां उनका एयर कमांडोर एल.के.जैन, उप महानिदेशक राजस्थान निदेशालय और कर्नल जितेन्द्र कुमार (शौर्य चक्र) ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

जयपुर। नई दिल्ली स्थित एनसीसी महानिदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक रियल एडमिरल पुनीत चड्ढा अपने तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को जयपुर पहुंचे। यहां पर एयर कमांडोर एल.के.जैन, उप महानिदेशक राजस्थान निदेशालय और

कर्नल जितेन्द्र कुमार (शौर्य चक्र) ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया और राजस्थान एनसीसी की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत करवाया। इसके बाद एनसीसी मुख्यालय जयपुर के निरीक्षण के दौरान 1 राज बटालियन,

एसीसी जयपुर के कैडेट्स ने रियर एडमिरल पुनीत चड्ढा को 'गॉर्ड ऑफ ऑनर' देकर सम्मानित किया। एडीजी चड्ढा ने कैडेट्स को अग्निपथ योजना के बारे में बताते हुए अधिक से अधिक युवा कैडेट्स को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

प्रदेश की जनता राम भरोसे, सरकार आम जनता की सुध नहीं ले रही : पूनिया

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पहले 52 दिन सरकार बाड़े में बंद रही और अब मुख्यमंत्री से मिलने सभी विधायक और अब मंत्री दिल्ली में पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह बताए कि आखिर वह प्रदेश की जनता को किसके हवाले छोड़ कर गए हैं। 3 साल में आधा वक्त उन्होंने बाड़ेबंदी में गुजार दिया। आखिर क्या वह प्रदेश की जनता को जवान बनेगा?

उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं का चिरहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, गुंडे-बदमाशों ने तांडव मचा रखा है और यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि सरकार आम जनता की सुध नहीं ले पा रही है। पूर्व मंत्रियों और विधायकों के मुकदमे वापस लेने की बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने बड़ा दिल रख कर भाजपा

■ 'सबसे भ्रष्ट, नकारा, अकर्मण्य सरकार हैं ये सरकार, जुगाड़ की सरकार हैं। सरकार जब अंतर्कलह का संघर्ष झेल रही हो वो कभी भी जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते'

■ 10 से 12 जुलाई को प्रदेश पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर सिराही में

के पूर्व मंत्रियों और विधायकों पर लगे मुकदमे वापस लिए हैं। पूनिया ने कहा कि 2018 में ये सरकार जिस एजेंडे के साथ सरकार आई थी अब तक कि सबसे भ्रष्ट, नकारा, अकर्मण्य सरकार है। ये सरकार जुगाड़ की सरकार है। सरकार जब अंतर्कलह का संघर्ष झेल रही हो वो कभी भी जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते।

पूनिया ने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना सामाजिकता का पक्ष भी है। इसमें सही गलत का फैसला जनता ही करती है। उन्होंने अपने संगठनात्मक कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि संगठनात्मक इकाइयों को मजबूत कर

उन्हे नीचे तक पहुंचाए है। पार्टी के हर कार्य को प्रदेश के 52 हजार बूथ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पहले पार्टी का हर कार्य 34 हजार बूथ तक था लेकिन अब 42 हजार तक पार्टी की पहुंच हुई है। आगामी दिनों में 52 हजार बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचकर पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को पूरा करेंगे। पार्टी की ओर से 10-12 जुलाई में प्रदेश पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर सिराही में होगा। वही 25 जून को भाजपा आपातकाल को काले दिवस के रूप में मनाएगी। इस तरह से कैबिनेट में प्रस्ताव को अप्रवृत्त किया है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि उनको चाहिए था

कि योजनाओं की खूबी के बारे में युवाओं को बताते और उन्हें इस योजना से जुड़ने के लिए जागरूक करते हैं, क्योंकि जब योजना धरातल पर उतरती और लोगों के बीच में जाएगी तब नौजवान बहुत बेहतर तरीके से समझेगा। पूनिया ने कहा कि मुझे भरोसा है कि देश का युवा इस बात को समझेगा कि देश की सेना ने और सरकार ने उनके भले के लिए कोई योजना शुरू की है। सेना के आधुनिकीकरण की तर्फ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय सेना में नवाचार की जरूरत है और इससे नौजवान को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? जो लोग विरोध कर रहे हैं क्या उनमें सभी युवा हैं? पूनिया ने कहा कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, उसमें पथर फेंकने वाले 35-35 साल के दाढ़ी वाले लोग हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका विरोध कौन कर रहा है। इसमें किसका स्वार्थ है, यह भी समझने की जरूरत है।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गत 24 मई के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव और निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस रामेश्वर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश आशा जोशी अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि कार्मिक विभाग ने 26 जून 2021 को शिक्षा सेवा नियम बनाकर वरीयता के आधार पर पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा की स्कूलों में रिक्त पदों पर भरने का प्रावधान किया। इसकी पालना में विभाग ने प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की सूची बनाकर उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में भेजने के लिए काउंसिलिंग शुरू कर दी। याचिका में कहा गया कि शिक्षा सेवा नियम 6 के उपनियम 3 के तहत सिर्फ वरीयता के आधार पर ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का समायोजन माध्यमिक शिक्षा में किया जा सकता है। इसके बावजूद विभाग ने आनन फानन में जो सूची बनाई है, उसमें कई प्रकार की अनियमितता की गई है और उसमें कई वरिष्ठ अध्यापकों के नामों को विलोपित किया गया है।

'घर का पूत कुंवारा डोले, पाड़ोसी का फेरा'

भाजपा नेताओं पर लगे मुकदमे वापस लेगी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई राहत नहीं

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में एक कहावत है "घर का पूत कुंवारा डोले, पाड़ोसी का फेरा", कुछ ऐसा ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मुकदमे झेलने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार ने भाजपा नेताओं पर दरियादिली दिखाते हुए उनके मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर राजस्थान प्रदेश एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर याद दिलाया है कि कांग्रेस के सैकड़ों युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे भी वापस लिए जाने चाहिए।

■ एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापस लेने की मांग की

तथा सरकार ने उन पर मुकदमे दर्ज करवाए जो कि वो आज तक भुगत रहे हैं। हाल में भी केंद्र सरकार के विरोध में राज्य में कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभिमन्यु पूनिया का कहना है कि पूर्व वसुंधरा सरकार ने इन पर कोई दया नहीं दिखाई, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भाजपा के नेताओं पर लगे मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है, जिससे कि राज्य के युवाओं में प्रतिशोध की भावना उठ रही है जो कि राहुल गांधी को आदर्श मानने वाले युवाओं के साथ अन्याय है। पूनिया ने पत्र में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए निवेदन किया है कि राज्य में लगे कानून कार्यकर्ताओं के मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लें, जिससे कि युवाओं में कांग्रेस सरकार के प्रति एक अच्छा संदेश जाए।

प्रदेश में कोरोना के 67 नए मरीज मिले, 62 ठीक हुए

जयपुर (का.सं.)। प्रदेश में सोमवार को 67 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 62 रोगी इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। इसके बाद अब बाढ़ी एक्टिव केस 676 हो गए हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 13 जिलों में नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 19 मरीज जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा बीकानेर में 10, जोधपुर और अजमेर में 7-7, उदयपुर में 6, गंगानाहर में 5, सिराही में 4, अलवर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में 2-2 तथा सवाई माधोपुर, नागौर, भीलवाड़ा में एक-एक संक्रमित मिला है। जयपुर में मिले 19 नए संक्रमितों के साथ यहां सोमवार को 40 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद यहां 288 एक्टिव केस रह गए हैं। जयपुर में इस दिन जगतपुरा में 5, प्रतापनगर में 4, मालवीय नगर में 3 तथा बनीपार्क, जौहरी बाजार, मानसरोवर, राजापार्क, शास्त्री नगर और विद्याधर नगर में एक-एक संक्रमित मिला है।

भरतपुर में कल होगा टूरिज्म रोड शो

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर में 22-24 जुलाई तक होने वाले राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आरडीटीएम) से पहले, बुधवार 22 जून को भरतपुर में प्रमोशनल रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भरतपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस में शाम 4.30 बजे आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान (एफएचटीआर) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। रोड शो में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव, पर्यटन, गायत्री राठी, कलेक्टर, भरतपुर, श्री आलोक रंजन और एफएचटीआर के अध्यक्ष, अपूर्व कुमार सहित अन्य लोग शामिल होंगे।

एफएचटीआर के अध्यक्ष, अपूर्व कुमार ने आगे बताया कि जयपुर आरडीटीएम 2022 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा ताकि कोविड-19 रिकवरी को बढ़ावा दिया जा सके और आर्थिकता को पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट किया जा सके। यह राजस्थान पर

■ जयपुर में जुलाई माह में आयोजित होने वाले राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट को प्रमोट करने के लिए होगा आयोजन

ध्यान केंद्रित करेगा और दिखाएगा कि राज्य महामारी के बाद अनुकूलित पर्यटन का अनुभव देने के लिए देश भर से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। रोड शो में इसकी एक झलक पेश की जाएगी कि मेगा ट्रेवल मार्ट में ट्रेवल और टूर ऑपरेटर्स के लिए क्या खास होने वाला है। पर्यटन विभाग और एफएचटीआर के अतिरिक्त, इस आयोजन में राज्य के विभिन्न टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी संगठनों जैसे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर), इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो) के स्ट्रेकोहोल्डर्स की भी उपस्थिति रहेगी।

बैंक ऑफ इंडिया का "शाखा अदालत" अभियान आज से

जयपुर, (का.सं.)। बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 महामारी एवं अन्य किसी कारण से प्रभावित उधारकर्ताओं को एक मुश्त समझौता योजना के तहत राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 21 से 26 तक अखिल भारतीय स्तर पर शाखा अदालत अभियान चलाया था।

जहां विशेष रूप से कृषि, एमएसएमई, खुदरा और व्यक्तिगत ऋण वाले छोटे उधारकर्ता, जिनका बकाया ऋण 5 करोड़ से कम था। ग्राहकों की अस्थिर प्रतिक्रिया को देखते हुए बैंक ऑफ इंडिया ने 21 से 28 जून के बीच फिर से शाखा अदालत अभियान आरंभ करने का निर्णय लिया है जिसके माध्यम से बैंक में उन उधारकर्ताओं को एक और अवसर मिलेगा जो पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं उठा सके, इसका लाभ लेकर ऋण मुक्ति पा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अग्निपथ योजना में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

'अग्निपथ' के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

जयपुर, (का.प्र.)। केन्द्र सरकार द्वारा तानाशाही रवैये और बदले की भावना से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर की जा रही ईडी की दमनात्मक कार्यवाही तथा केन्द्र की भाजपा सरकार की ओर से लागा की गई अग्निपथ योजना के विरोध में कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रताप सिंह खारचियावास के निर्देश शास्त्री नगर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

सोमवार को जयपुर शहर कांग्रेस महासचिव आलोक पारीक के नेतृत्व में कांवेटीया सफिल, शास्त्री नगर, जयपुर पर ईडी कार्यवाही के विरोध में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

विरोध इतनी अंधी नफरत से भरा हुआ नहीं होना चाहिए : शेखावत

जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की असंसदीय टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया जताई। शेखावत ने कहा कि विरोध इतनी अंधी नफरत से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु पर टिप्पणी करने लगे। सोमवार को टवीट कर शेखावत ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जानबूझकर चूक की थी और अब मंच से मंशा जाहिर की जा रही है। धिक्कार है।

6 हस्तियों को पहला अर्जुन कला अवार्ड

जयपुर। माटी मानस अर्जुन कला संताहालय की ओर से देश-दुनिया में मशहूर रहे मूर्तिकार पद्मश्री मरहम अर्जुन प्रजापति की याद में 23 जून को बिडला सभागार में प्रातः 11 बजे पहला अर्जुन कला अवार्ड सरेमनी होगी। समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला होंगे। अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम करोगे।

'अग्निपथ' को लेकर जयपुर जंक्शन पर अलर्ट मोड में दिखी आरपीएफ



सेना भर्ती के लिए केन्द्र सरकार की योजना "अग्निपथ" को लेकर सोशल मीडिया पर भारत बंद के वायरल हुए मैसेज को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है।

जयपुर (का.सं.)। सेना भर्ती के लिए केन्द्र सरकार की योजना 'अग्निपथ' को लेकर सोशल मीडिया पर भारत बंद के वायरल हुए मैसेज को देखते हुए पुलिस ने जयपुर शहर में व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है। साथ ही रेलवे ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है। दरअसल, प्रदर्शनकारी रेल और रेलवे ट्रेक को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर सोमवार सुबह से ही जयपुर जंक्शन पर पुलिस अलर्ट मोड में दिखी।

बता दें कि सोमवार सुबह मंडल सुरक्षा आयुक्त ज्योति मणि के निर्देश पर सहायक सुरक्षा आयुक्त जयपुर अशोक कुमार त्यागी को नेतृत्व में थानाधिकारी नरेश यादव ने सघन चौकियों की साथ ही अग्निपथ पर संचालित बवाल की स्थिति को देखते हुए मार्च पास्ट भी किया गया। वहीं, शहर के अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा को पुख्ता व्यवस्था की गई है। आरपीएफ थानाधिकारी नरेश यादव ने बताया कि किसी भी विरोध की स्थिति

को देखते हुए सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शांति बनाए रखने के लिए ट्रेनों की चेकिंग, प्लेटफॉर्म पर चेकिंग, वेंटिंग हॉल, टैक्सी स्टैंड, संकुलेटिंग एरिया, रिजर्वेशन ऑफिस, बुकिंग ऑफिस को स्वान दस्ता, आरपीएफ व आरपीएसएफ स्टाफ को साथ में चेक किया। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के सामान को भी पूरी तरह से चेक किया जा रहा है।

बिल्डर ने 6 साल पहले सील हो चुकी बिल्डिंग के 20 फ्लैट्स को बेचकर ठहरा दिये परिवार

जेडीए ने मंगलम इंडस्ट्रीयल सिटी जैतपुरा में बनी इस इमारत को पुनः सील किया

जयपुर (का.सं.)। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सोमवार को सीकर रोड पर जैतपुरा स्थित 6 मंजिला बिल्डिंग को सील किया है। इस बिल्डिंग में 20 आवासीय फ्लैट्स बने हुए थे, जिन्हें जेडीए ने 6 साल पहले सील किया था। मगर बिल्डर ने सील तोड़कर इन फ्लैट्स में लोगों को बसा दिया। जेडीए टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तब 2

■ जीरो सेटबैक पर 640 वर्गज भूमि पर 6 वर्ष पूर्व बनाई गई थी 6 मंजिला अवैध इमारत

फ्लैट्स में लोग रहते मिले। इसके बाद जेडीए ने वापस बिल्डर को नोटिस जारी करते हुए सभी फ्लैट्स को सील कर दिया है। मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सेनी ने बताया कि जून 12 सीकर रोड पर मंगलम इंडस्ट्रीयल सिटी जैतपुरा में आवासीय भूखंड संख्या ए-33 की 640 वर्गज जमीन पर बिना सेटबैक छोड़े आवासीय फ्लैट्स बनाए जा रहे थे। इन फ्लैट्स को जून 2016 में जेडीए ने नोटिस जारी करने के बाद सील कर दिया था। मगर हाहाला भी जांच के दौरान सील हटी हुई मिली और फ्लैट्स में लोग रहते मिले। जबकि सीलिंग के दौरान बिल्डिंग के चारों ओर



रस्सी बांधकर बिल्डिंग को सील किया गया था। इस कारण अब फिर से सीलिंग की कार्रवाई की गई है। सोमवार को जेडीए दस्ते ने बिल्डिंग को सील दिया। प्रवर्तन विंग अब बिल्डर के खिलाफ जेडीए की सील तोड़ने पर धारा 34 के तहत कार्रवाई करेगा। जेडीए की प्रवर्तन

विंग ने सीकर रोड स्थित मोटू का बास में दो बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी में भी निर्माण ध्वस्त किए। साथ ही न्यू आतिश मार्केट के सामने से कॉलोनी को जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण हटाया। वर्षों से इस आम रास्ते पर कब्जा कर रखा था।